रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2609] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2013/कार्तिक 30, 1935
No. 2609] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2013/KARTIKA 30, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2013

का. आ. 3450(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार श्रम मंत्रालय की दिनांक 9 जुलाई, 2003 की संख्या का.आ. 2125 की अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि निधि से संबंधित सभी वृद्धि संबंधी संचयन का निवेश निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा । नामत:-

क्र. सं.	निवेश की पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	(क) सरकारी प्रतिभूतियां [I]	55 तक
	(ख)अन्य प्रतिभूतियां [II] जिसके मूलधन और उस पर ब्याज की पूरी और बिना शर्त गारंटी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी सिवाय उनके जो नीचे (ii) (क) के अंतर्गत शामिल हैं ।	
	(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटें जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित होती है;	
	बशर्ते कि म्यूच्यूअल फंड में निवेश की सीमा किसी भी समय पर कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक नहीं होगी ।	
(ii)	(क) बैंकों और पब्लिक वित्तीय संस्थाओं [III] सहित कंपनी निकायों द्वारा निर्गमित कम से कम तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां;	55 तक
	बशर्ते कि इस श्रेणी में निवेश का कम से कम 75% ऐसे प्रपत्रों में किया जाएगा जिसका निवेश ग्रेड निर्धारण कम से कम एक साख निर्धारण एजेंसी द्वारा किया गया हो ।	
	(ख)अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गमित कम से कम एक वर्ष तक की अवधि की सावधि जमा प्राप्तियां । बशर्ते कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित शर्ते पूरी करें :	
	(i) बिल्कुल पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभप्रदता रही हो;	
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का न्यूनतम 9% का अनुपात बनाए रखा हो ;	

(iii) निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां निवल अग्रिमों के 2% से अधिक न हों ;

(iv) न्यूनतम निवल मूल्य 200 करोड़ रुपये हो ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा जारी रुपया बांड जिनकी बकाया परिपक्वता अवधि कम से कम तीन वर्ष हो ।

(iii)	मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों सहित मुद्रा बाजार प्रपत्र	5 तक
(iv)	कंपनियों के शेयर जिन पर बम्बई शेयर बाजार या नेशनल स्टाक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूच्युअल फंडों की इक्विटी से सम्बद्ध स्कीमों में व्युत्पन्न उपलब्ध हों ।	शून्य

'I' प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ख) में यथा वर्णित 'सरकारी प्रतिभूतियां' ।

'II' प्रतिभूति संविदा (विनिमय)अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज)में यथा वर्णित 'प्रतिभूतियां' ।

'III' कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट 'पब्लिक वित्तीय संस्थाएं' ।

2. पूर्ववर्ती निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी धनराशि अनिवार्य खर्चों को घटाने के बाद इस निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित की जाएंगी ।

3. कारोबार अनुपात (वर्ष के दौरान लेन-देन की गई प्रतिभूतियों के मूल्य/वर्ष के आरंभ में और वर्ष के अतं में पोर्टफोलियों का औसत मूल्य) 2 से अधिक नहीं होना चाहिए ।

4. यदि उपर्युक्त प्रपत्रों में से किसी भी प्रपत्र का साख निर्धारण किया जाता है और उनकी रेटिंग किसी एक साख
निर्धारण एजेंसी द्वारा पुष्टि किए गए साख निर्धारण निवेश ग्रेड से नीचे चली जाती है तो उसे छोड़ने का विकल्प लिया जा सकता है ।

5. निवेश की पद्धति उपर्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत तक हासिल की जा सकती है तथापि, वर्ष के अंत में पुन: संतुलन हेतु किसी अस्थिरता से बचा जाए ।

6. तथापि यह ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी ट्रस्ट की निधियों का निवेश उसके न्यासियों का न्यासीय उत्तरदायित्व है और इसे यथोचित अध्यवसाय से निवेश किया जाए । इसलिए, ऊपर विनिर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुसार लिए गए निवेश संबंधी निर्णयों के लिए न्यासी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

[फा. सं. जी-20031/1/2007/एसएस-II (खण्ड II)]
अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2013

S.O. 3450(E).— In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of prargraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2125 dated the 9th July, 2003 the Central Government hereby directs that all incremental accretions belonging to the Fund shall be invested in accordance with the following pattern namely:—

S. No.	Investment Pattern	Percentage amount to be invested
(i)	(a) Government securities [I]	Upto 55
	(b) Other securities [II], the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranted by the Central Government or any State Government except those coverd under (ii) (a) below.	
	(c) Units of mutual funds set up as dedicated funds for invetment in Government securities and regulated by the Securities and Exchance Board of India;	

	Provided that the exposure to a mutual fund shall not be more than 5% of the total portfolio at any point of time.	
(ii)	Debt securities with maturity of not less than three years tenure issued by Bodies Corporate including banks and public financial institutions[III] ;	Upto 55
	Provided that at least 75% of the investment in this category is made in instruments having an investment grade rating from at least one credit agency.	
	(b) Term Deposit Receipts of not less than one year duration issued by scheduled commercial banks.	
	Provided that the scheduled commercial banks must meet conditions of ;	
	(i) Continuous profitability for immediately preceding three years ;	
	(ii) Maintaining a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio of 9%;	
	(iii) Having net non-performing assets of not more than 2% of the net advances;	
	(iv) Having a minimum net worth of not less than Rs. 200 crores.	
	(c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least 3 years issued by Institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and the Asian Development Bank.	
(iii)	Money market instruments including units of money market mutual funds	Upto 5
(iv)	Shares of companies on which deivatives are avaiable in Bombay Stock Exchance or National Stock Exchange or equity linked scheme of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India.	Nil

'I' Government Securities' as defined in Section 2(b) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

'II' Securities' as defined in section 2(h) of the Securities'Contracts (Regulation) Act, 1956

'III' Public Financial Institutions' as specified under Section 4A of the companies Act, 1956.

2. Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoing shall be invested in same category.

3. Turnover Ratio (the value of Securites traded in the year/average value of the portfolio at the beginning of the year and the end of the year) should not exceed 2.

4. If any of the instruments mentioned above are rated and their rating falls below investment grade as confirmed by one credit rating agency then the option of exit can be exercised.

5. The Investment pattern as envisaged above may be achieved by the end of the financial year. However any volatility re-balancing at the end of the year may be avoided.

6. It may be noted, however, that the investment of the Funds of a Trust is the Fiduciary responsibility of the Trustees and needs to be exercised with appropriate due diligence. Therefore, as such, the trustees are solely responsible for the investment decisions taken in accordane with the pattern of investment specified above.

[F. No. G-20031/1/2007/SS-II (Vol. II)]

ARUN KUMAR SINHA, Addl.. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.